

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अप्रैल २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. इस विभाग के दिनांक 04.04.2018 के आदेश सं. 39019/12/2017-स्था.(ख) द्वारा श्रीमती एम. सत्यवती को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया गया है।
- ii. इस विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नए भर्ती किए गए 79 आशुलिपिक-घ (2016) को अंतरिम नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया, जिन्हें 23 अप्रैल, 2018 से 15 जून, 2016 के बीच आईएसटीएम में (एसडीआर) संस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है।
- iii. इस माह के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए 397 अनुशंसित उम्मीदवारों को आईएसटीएम और विभिन्न राज्य एटीआई में संस्थापन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है।
- iv. लोक उद्यम चयन बोर्ड, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के 01 (एक) एवं निदेशक के 08 (आठ) पदों के लिए विज्ञापन दिया।
- v. अप्रैल माह के दौरान आईएसटीएम में 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें 07 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-इ, स्तर-घ, स्तर-ख एवं स्तर-क) एवं 03 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-॥ एवं एसडीआर) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 810 थी।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं :-

- क. उत्तरपूर्व क्षेत्र के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्र सरकार के असैन्य (सिविलियन) कर्मचारियों की एलटीसी सुविधाओं के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का दिनांक 24.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/12/2015-स्था.क.IV द्वारा कार्यान्वयन।
- ख. दिनांक 02.04.2018 के आदेश सं. फा.सं. 12/6/2016-जेसीए-2 द्वारा औद्योगिक अधिष्ठानों सहित भारत भर के सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा।
- ग. दिनांक 24.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/3/2009-जेसीए द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय/विभाग में विभागीय परिषद के क्रिया-कलापों के संबंध में सूचना एकत्रित करना।
- घ. सभी अखिल भारतीय सेवाओं एवं संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर अवर सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर लागू केन्द्रीय सचिवालय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता दरों में दिनांक 24.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/10/2017-स्था. वेतन.॥ द्वारा संशोधन किया गया था।

ड. शिशु देखभाल छुट्टी (सीसीएल) पर जाने वाले कर्मचारी को समुचित सक्षम प्राधिकारी के अग्रिम अनुमोदन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है; कर्मचारी सीसीएल पर रहने के दौरान एलटीसी का लाभ उठा सकता है; सीसीएल पर जाने वाला कर्मचारी विदेश यात्रा पर जा सकता है बशर्ते उसने सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 03.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13018/6/2013-स्था.(एल) द्वारा अग्रिम तौर पर अनापत्ति प्राप्त कर ली हो।